न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बाडमेर, जिला बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 55/2026 पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर, अपराध अंतर्गत धारा 308(2), 126(2), 115(2), 189(2), 140(3), 109(1), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता

(1.) प्रकरण संख्या : 81/2026 फौजदारी विविध

(CIS No. 172/2026)

(1.) रावलसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह, उम्र 29 साल, निवासी भालु लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना चामु, जिला जोधपुर,
(2.) रूपाराम पुत्र पुनमाराम, उम्र 25 साल, निवासी नाथडाऊ, पुलिस थाना चामु, जिला जोधपुर ग्रामीण
(3.) प्रतापाराम पुत्र भभुताराम, उम्र 24 साल, निवासी रामदेव नगर नाथडाऊ पुलिस थाना चामु, जिला जोधपुर ग्रामीण।

– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

(2.) प्रकरण संख्या : 82/2026 फौजदारी विविध

(CIS No. 173/2026)

(1.) किशनसिंह पुत्र पूंजराजसिंह, उम्र 27 साल, निवासी हनुमाननगर, बनो का वास नाथडाऊ पुलिस थाना चामु जोधपुर ग्रामीण
(2.) रूगनाथसिंह पुत्र नरपतसिंह उम्र 27 साल, निवासी नेवरा पुलिस थाना मथानिया, जोधपुर कमिश्नररेट
(3.) भोमसिंह पुत्र जयसिंह उम्र 22 साल, निवासी डांगरी पुलिस थाना सांगड़ जैसलमेर

– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :–

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह सोढा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री दामोदर कुमार चौधरी, लोक अभियोजक

<u>आदेश</u> दिनांक : 11.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं दिनांक 20.02.2026 को परिवादी कल्याणसिंह पुत्र भवरसिंह उम्र 25 साल पेशा सिक्युरिटी ठेकेदारी निवासी बाटाडा मौखाब पुलिस थाना शिव जिला बाडमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय का पेश किया की कि उसकी स्टर्लिंग विल्सन कंपनी की साईट बाटाडा मौखाब एरिया में हैं, वह सिक्युरिटी गार्ड का इन्चार्ज है। उसकी उक्त कम्पनी की एक साइट सरहद बाटाडा में आई हुई है, जिस पर उसने सिक्युरिटी गार्ड के रुप में उगमसिंह पुत्र मलसिंह, निवासी बाटाडा को रख रखा है दिनांक 18.02.2026 की शुरुआती रात्रि वक्त 1:36 एएम पर उगमसिंह के बचाओ बचाओ करने की रडे करणसिंह पुत्र मेहताबसिंह राजपुत द्वारा सुनने पर उसने अपने चाचा गणपतसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपुत को बताने पर गणपतसिंह अपनी जीप गाड़ी नम्बर आरजे 19 यूए 4769 को लेकर उगमसिंह का बचाव करने हेतु उनकी तरफ चले गये तब करणसिंह ने उसे फोन कर उक्त घटना के बारे में बताया उसने उक्त सूचना मिलते ही उसकी बोलेरो गाडी लेकर वह भी उगमसिंह की तरफ गया वह जब उनके नजदीक पहुंचा तब मुलजिमानों ने उसकी गाड़ी की लाईट की रोशनी को देखकर मुलजिमान गणपतसिंह व उगमसिंह का वहां से अपहरण करके अपनी गाडियों में डालकर भागने लगे उसने वहां देखा तो गणपतसिंह की जीप मौके पर पलटी खाई हुई पड़ी थी, जिसमें तोडफोड भी कर रखी थी उसने मुलजिमानों की गाडियों का तुरन्त उसकी गाड़ी से पीछा शुरू किया तथा पुलिस चौकी भीयाड को भी सूचना दी। वह उक्त गाडियों का पीछा करता हुआ तीन चार किलोमीटर आगे आया तो उगमसिंह व गणपतसिंह दोनों रोड के किनारे बैठे हुए मिले, जिनको उसने उसकी गाड़ी में साथ बिठाकर पीछा जारी रखा। वह पीछा करते हुए मौखाब गांव के नजदीक पहुंचे तब मुलजिमानों ने आगे पुलिस की नाकाबंदी को देखकर गाडियों को वापस घुमाकर पोषाल रोड की तरफ जाने लगे, तो उसने पोषाल रोड पर पत्थर डालकर मुलजिमानों की गाडियों को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमानों की गाड़ी के डाले में बैठे व्यक्तियों द्वारा उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर पत्थर फेंककर उसके सिर में ललाट पर चोट पहुंचाई जिससे उसके ललाट में पत्थर की लगने से खून बहना शुरू हो गया तब वह रोड से साईड में हटा तो मुलजिमान अपनी गाडी साईड में से भगाकर

पोषाल की तरफ भाग कर चले गये उसके बाद उगमसिंह ने उसे बताया कि उक्त मुलजिमान बाटाडा साईड चोरी करने की नियत से आए तो उसने उनको ललकारा तो मुलजिमानों ने उसके पास आकर पकडकर उसके साथ थापों–मुक्कों से मारपीट करने लगे तब उसने बचाव हेतु रडे की उक्त मुलजिमान एक पिकअप व एक कैम्पर गाडी लेकर आये थे, जो 8 से 10 व्यक्ति थे जो आपस में एक दुसरे का नाम 01 रावलसिंह, 02. रुपाराम, 03. प्रतापराम, 04 किशनसिंह, 05 भोमसिंह, 06 रुगनाथसिंह नाम से पुकार रहे थे तथा कह रहे थे कि वे कम्पनियों में हमेशा माल उठाकर ले जाते हैं अपने सेठ को बता देना कि उन्हें मासिक हफ्ता दे अन्यथा एक भी साईट को चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। उनके खिलाफ पहले भी खूब मुकदमे हो रखे हैं पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड सकती। गणपतसिंह ने बताया कि उसने उगमसिंह की रडे सुनी तो वह उसकी जीप गाडी लेकर तुरन्त उगमसिंह को बचाने के लिये गया था वह जब नजदीक पहुंचा तो मुलजिमान उगमसिंह के साथ मारपीट करते हुए उसको जबरदस्ती अपनी गाडी में डाल रहे थे उसने उनकी गाडियों को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमानों ने उसे जान से मारने की नियत से उसकी गाड़ी को अपनी गाडी से टक्कर मारी जाकर उसकी गाडी पलटी खिला दी। फिर मुलजिमान उसकी गाड़ी के पास आकर उसकी गाडी में तोडफोड कर उसे गाडी से बाहर निकाल कर उसके साथ लाठियों से मारपीट की इतने में दूसरी गाडी की रोशनी देखकर मुलजिमानों ने उसका वहां से अपहरण कर अपनी गाडी में डाल दिया तथा चलती गाडी में भी उसके साथ व उगमसिंह के साथ मारपीट करते रहे बाद में उन्हें चार पांच किलोमीटर आगे ले जाकर गाडी से नीचे उतार दिया था। इस प्रकार मुलजिमानों के बारे में उन्होंने पता किया तो यह लोग पेशेवर चोर गिरोह हैं जो किशनसिंह पुत्र पुंजराजसिंह राठौड राजपुत निवासी नाथडाऊ जिला जोधपुर की गैंग है, उस रोज किशनसिंह के साथ भोमसिंह राजपुत, रुगनाथसिंह राजपुत, रावलसिंह, रुपाराम, प्रतापराम व कुछ लोग अन्य थे इस प्रकार किशनसिंह की राजपुत की गैंग के सदस्य द्वारा एक राय होकर पवन ऊर्जा के पंखो पर चोरी करने की नियत से सरहद बाटाडा मौखाब में उनकी कम्पनी की साईट पर चोरी करने का प्रयास किया मगर चोरी करने में सफल नहीं होने पर साईट पर सुरक्षागार्ड उगमसिंह के साथ मारपीट कर उसका अपहरण किया उगमसिंह के रड़े करने पर बीच–बचाव में आये गणपतसिंह को जान से मारने की नियत से उसकी जीप गाड़ी को टक्कर

मारकर गाडी को पलटी खिलाकर गणपतसिंह को गाडी में से खींचकर बाहर निकाल कर उसके साथ मारपीट कर उसका भी अपहरण कर गाडी में डालकर लेकर चले गये तथा उसके द्वारा उनका बीच–बचाव करने हेतु उसकी गाडी से पीछा किया जाने पर उसके ऊपर पत्थरों से हमला किया जाकर उसे जान से मारने की नियत से उसके सिर पर पत्थर को मारकर चोट पहुंचाई तथा गणपतसिंह की गाडी में तोड़फोड़ कर उसको नुकसान पहुंचाया है। इत्यादि रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 55/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 308(2), 126(2), 115(2), 189(2), 140(3), 109, 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता 2023 दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रावलसिंह, रूपाराम व प्रतापाराम को दिनांक 27.02.2026 को तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण किशनसिंह, रूगनाथसिंह व भोमसिंह को दिनांक 05.03.2026 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा गया, जिस पर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रावलसिंह, रूपाराम व प्रतापाराम तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण किशनसिंह, रूगनाथसिंह व भोमसिंह द्वारा पृथक–पृथक जमानत आवेदन पत्र विद्वान् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिव के समक्ष जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया, जिसे विद्वान् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिव द्वारा क्रमशः दिनांक 06.03.2026 व 07.03.2026 को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रावलसिंह, रूपाराम व प्रतापाराम तथा किशनसिंह, रूगनाथसिंह व भोमसिंह की ओर से पृथक–पृथक जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन पेश किए गए, उक्त दोनों ही प्रार्थना–पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित है। अतः उक्त दोनों प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के प्रार्थना–पत्रों की नकल विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई गयी। प्रकरण पृथक्–पृथक् आपराधिक विविध दर्ज रजिस्टर किया गया। अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया है। आरोपित अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रावलसिंह, रूपाराम व प्रतापाराम दिनांक 27.02.2026 से तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण किशनसिंह, रूगनाथसिंह व भोमसिंह

दिनांक 05.03.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी या अनुसंधान बकाया नहीं है। प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः जमानत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। विद्वान् लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनों का विरोध किया।

3. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत S.B.Cri. Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त रावलसिंह के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन किया गया है, जो निम्न हैं :-

क्रम संख्या	मुकदमा संख्या व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1	269/25.12.2024	303(2), 3(5) बी.एन.एस. व 136 विद्युत अधिनियम	मथानियां, जिला जोधपुर	पैण्डिग कोर्ट
2	04/10.01.2025	115(2), 126(2), 140(3), 189(2) 190, 191(2), 307, 310(2), 324(2) बीएनएस	पीटीएम जैसलमेर	पैण्डिग कोर्ट
3	50/16.02.2026	333, 189(2), 115(2), 126(2), 303(2) बीएनएस	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
4	56/21.02.2026	307, 303(2) बी.एन.एस.	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
5	09/21.02.2026	305ए, 331(4) बी.एन.एस.	नोख फलोदी	पैंडिंग पुलिस
6	08/17.01.2026	112(2) बी.एन.एस. 2023 व 136 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग पुलिस

प्रार्थी/अभियुक्त रूपाराम व प्रतापराम के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त 04 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन किया गया हैं, जो निम्न हैः-

क्रम संख्या	मुकदमा संख्या व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1	50/16.02.2026	333, 189(2), 115(2), 126(2), 303(2) बीएनएस	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
2	56/21.02.2026	307, 303(2) बी.एन.एस.	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
3	09/21.02.2026	305ए, 331(4) बी.एन.एस.	नोख फलोदी	पैंडिंग पुलिस

4	08/17.01.2026	112(2) बी.एन.एस. 2023 व 136 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग पुलिस

प्रार्थी/अभियुक्त किशनसिंह के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त 13 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन किया गया हैं, जो निम्न है :–

क्रम संख्या	मुकदमा संख्या व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1	172/13.08.2021	457, 380 भा.दं.सं.	बालेसर, जोधपुर	पैंडिंग कोर्ट
2	02/01.01.2023	379 भा.दं.सं.	मतोडा फलोदी	पैंडिंग कोर्ट
3	215/09.08.2023	379 भा.दं.सं.	ओसिया जोधपुर	पैंडिंग कोर्ट
4	44/06.04.2024	457 भा.दं.सं. व 136 विद्युत अधिनियम	साकड़ा, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट
5	148/02.06.2024	147, 447, 384, 509 भा.दं. सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट	लोहावट, जोधपुर	पैंडिंग कोर्ट
6	229/03.06.2024	457, 380, 411, 120बी भा. दं.सं.	बनाड़, जोधपुर	पैंडिंग कोर्ट
7	76/20.03.2024	–	मंडोर, जोधपुर	पैंडिंग कोर्ट
8	02/01.01.2023	379/34 भा.दं.सं.	मतोड़ा, जोधपुर	पैंडिंग कोर्ट
9	50/16.02.2026	333, 189(2), 115(2), 126(2), 303(2) बीएनएस	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
10	56/21.02.2026	307, 303(2) बी.एन.एस.	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
11	09/21.02.2026	305ए, 331(4) बी.एन.एस.	नोख फलोदी	पैंडिंग पुलिस
12	08/17.01.2026	112(2) बी.एन.एस. 2023 व 136 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग पुलिस
13	04/10.01.2025	115(2), 126(2), 140(3), 189(2), 190, 191(2), 307, 310(2), 324(2) बीएनएस	पीटीएम, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट

प्रार्थी/अभियुक्त भोमसिंह के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त 14 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन किया गया हैं, जो निम्न हैः–

क्रम संख्या	मुकदमा संख्या व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1	174/22.11.2021	342, 323, 384 भा.दं.सं.	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट
2	96/26.08.2024	329(3) बी.एन.एस व 136 विद्युत अधिनियम	साकड़ा, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट
3	98/29.08.2024	329(3) बी.एन.एस व 136 विद्युत अधिनियम	साकड़ा, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट
4	133/21.11.2024	331(4), 112(2) बी.एन.एस	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट

5	08/07.02.2025	136 विद्युत अधिनियम	साकड़ा, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट
6	84/08.07.2025	331(4) बी.एन.एस व 136 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग पुलिस
7	65/25.08.2025	136 विद्युत अधिनियम	साकड़ा, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट
8	106/02.09.2025	136 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट
9	50/16.02.2026	333, 189(2), 115(2), 126(2), 303(2) बीएनएस	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
10	56/21.02.2026	307, 303(2) बी.एन.एस.	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
11	09/21.02.2026	305ए, 331(4) बी.एन.एस.	नोख फलोदी	पैंडिंग पुलिस
12	08/17.01.2026	112(2) बी.एन.एस. 2023 व 136 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग पुलिस
13	111/11.09.2025	112(2) बी.एन.एस. 2023 व 136, 137 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग कोर्ट
14	02/03.01.2026	331(4) बी.एन.एस व 136 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग पुलिस

प्रार्थी/अभियुक्त रूगनाथसिंह के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त 06 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन किया गया हैं, जो निम्न है :–

क्रम संख्या	मुकदमा संख्या व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1	210/18.10.2025	303(2) बी.एन.एस.	मथानिया, जोधपुर	पैंडिंग कोर्ट
2	19/27.01.2025	303(2) बी.एन.एस.	मथानिया, जोधपुर	पैंडिंग कोर्ट
3	50/16.02.2026	333, 189(2), 115(2), 126(2), 303(2) बीएनएस	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
4	56/21.02.2026	307, 303(2) बी.एन.एस.	शिव, बाड़मेर	पैंडिंग पुलिस
5	09/21.02.2026	305ए, 331(4) बी.एन.एस.	नोख फलोदी	पैंडिंग पुलिस
6	08/17.01.2026	112(2) बी.एन.एस. 2023 व 136 विद्युत अधिनियम	सांगड़, जैसलमेर	पैंडिंग पुलिस

5. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 308(2), 126(2), 115(2), 189(2), 140(3), 109(1), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता 2023 का आरोप प्रमाणित माना गया है। आरोपित अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी या अनुसंधान बकाया नहीं हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रावलसिंह, रूपाराम व प्रतापाराम दिनांक 27.02.2026 से तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण किशनसिंह, रूगनाथसिंह व भोमसिंह दिनांक 05.03.2026 से अभिरक्षा में हैं। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह भी

जाहिर होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं बतायी गई है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रावलसिंह पुत्र सवाईसिंह, रूपाराम पुत्र पुनमाराम, प्रतापाराम पुत्र भभुताराम तथा किशनसिंह पुत्र पूंजराजसिंह, रूगनाथसिंह पुत्र नरपतसिंह, भोमसिंह पुत्र जयसिंह की ओर से प्रस्तुत पृथक्–पृथक् जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त पचास हजार रुपए राशि की मौतबीर जमानत एवं पचास हजार रुपए का स्वयं का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रकरण के विचारण के मध्य नियमित रूप से उपस्थिति हेतु विद्वान् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिव के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 55/2026 पुलिस थाना शिव, जिला बाड़मेर अपराध अंतर्गत धारा 308(2), 126(2), 115(2), 189(2), 140(3), 109(1), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

7. आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

AMAN SHARMA
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by AMAN SHARMA
Date: 2026.03.12 09:46:10 +0530